# यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

**पंजीकरण संख्या–538**
**ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध**
**केन्द्रीय कार्यालय :** 106 / 107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26 / 2 / 4, संजय प्लेस, आगरा–282002
**पत्र व्यवहार :** 3 / 17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन / फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**


**परिपत्र संख्या :** 2016–19 / 70 / 2018 **दिनांक :** 23.06.2018

**सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों**
**जिला इकाईओं के मंत्रियों / अध्यक्षों हेतु**

प्रिय साथियों,

हम यहाँ साथी सी.एच. वेंकटचलम्, महामंत्री, एआईबीईए द्वारा सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय को लिखे लिखे गए पत्र संख्या एआईबीईए / जीएस / 2018 / 50 दिनांक 21.6.2018 का अनूदित सार आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

**(मदन मोहन राय)**
**महामंत्री**

प्रति
**श्री राजीव कुमार**
सचिव,
वित्तीय सेवा विभाग
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

हमारा ध्यान एक समाचार पर गया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक को डीएसके समूह के खातों के संबंध में पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह भली–भांति ज्ञात है कि यह डीएसके समूह धोखाधड़ी के विभिन्न आरोपों, निर्दोष लोगों से धन इकट्ठा करने और इसे भुगतान न करने, आदि के लिए परेशानियों में रहा है। इसलिए यह बिल्कुल ठीक है कि शिकायतों के आधार पर, डीएसके के संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उत्तरदायी बनाया जा रहा है।

लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बैंकों के ये अधिकारी, जो कि सूचना के अनुसार, डीएसके द्वारा की गई धोखाधड़ी से जुड़े नहीं हैं और इस मामले में उन्हें अब गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि डीएसके घोटाले में इन अधिकारियों की कोई मिलीभगत है, तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार, वे इस में शामिल नहीं हैं। हमें लगता है कि पुणे पुलिस इस संबंध में सीमा से आगे बढ़ गई है और इसलिए सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

*जारी पृष्ठ 2*

मीडिया भी कहानियां बना रहा है कि रू0 3000 करोड़ के डीएसके घोटाले में बैंक शामिल हैं। लेकिन तथ्य यह है कि डीएसके के लिए बैंकों का एक्सपोजर लगभग रू0 700 करोड़ है वो भी कई बैंकों से सम्बन्धित है।

डीएसके के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्रा का एक्सपोजर रू0 95 करोड़ है और बैंक ने पहले ही डीएसके को जानबूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया है और धन वसूल करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

यदि इन ऋणों को मंजूरी देने में बैंक के वर्तमान अथवा पिछले अधिकारियों के भ्रष्टाचार की कोई भागीदारी है, उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है लेकिन अब तक ऐसी किसी भागीदारी का उन पर आरोप नहीं लगा है।

इस पृष्ठभूमि में, पुणे पुलिस द्वारा इस गिरफ्तारी ने इन अधिकारियों के उत्पीड़न के अलावा जनता के मन में बैंक की प्रतिष्ठा की अपूरणीय क्षति की है।

एआईबीईए से हम आपराधिक उधारकर्ताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि इन कदाचारों से बैंकिंग प्रणाली को मुक्त किया जा सके। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बदनाम करना और अधिकारियों का उत्पीड़न करना जो घोटाले में शामिल नहीं है केवल कार्यबल को निरूत्साहित करेगा।

यदि, सरकार के अनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के अधिकारी डीएसके घोटाले में शामिल है और किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि का हिस्सा है, उनकी गिरफ्तारी न्यायसंगत है। अन्यथा, सरकार (वित्त मंत्रालय – वित्तीय सेवा विभाग) को हस्तक्षेप करना चाहिए और महाराष्ट्रा सरकार तथा पुणे पुलिस के साथ आवश्यक कार्यवाही तथा उपाय के लिए मामले को उठाना चाहिए।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र
ह0..
**सी.एच. वेंकटचलम्**
**महामंत्री**